भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3166

15 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात स्क्रैप नीति

3166. श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में इस्पात स्क्रैप नीति शुरू की है;
(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नीति के अनुसार स्क्रैप केन्द्र स्थापित किए गए हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार ने स्क्रैप की बिक्री पर कोई प्रोत्साहन तय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) स्क्रैप केंद्रों की मंजूरी में शामिल मंत्रालयों के नाम क्या हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): जी, हां। इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को दिनांक 7 नवंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 354 के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। इस नीति में, विभिन्न स्रोतों तथा विविध उत्पादों से उत्पन्न फैरस स्क्रैप का वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण करने के लिए भारत में मैटल स्क्रैप केन्द्रों की स्थापना को सुसाध्य और प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपरेखा दी गई है। इस नीति में विखंडन केन्द्र और स्क्रैप प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना के लिए मानक दिशानिर्देशों, एग्रीगेटर की भूमिकाओं तथा सरकार, विनिर्माता और मालिक के उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति के अनुसार, सरकार की भूमिका देश में स्क्रैप केन्द्रों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों और निवेशकों हेतु एक अनुकूल पारितंत्र सृजित करने के लिए एक सुविधाप्रदाता की है। उद्यमियों द्वारा स्क्रैप केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय वाणिज्यिक सोच-विचारों पर आधारित होता है।

(घ): सरकार ने स्क्रैप की बिक्री पर कोई प्रोत्साहन (इनसेन्टिव) निर्धारित नहीं किया है। यह दिशानिर्देशों और बाजार के समीकरणों द्वारा नियंत्रित होगा।

(ड.): स्क्रैप केन्द्रों को राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों की प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

****